

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 655/2014/जयपुर.

2. अपील संख्या - 656/2014/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राज. जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ढाबरिया एग्लोमिरेट प्रा० लि० मालवीय नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 19.09.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (राजस्थान) तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की कर निर्धारण अवधि वर्ष 2010-11 व 2011-12 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 सपटित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 20.9.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. दोनों प्रकरण के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का दिनांक 25.11.2011 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया था कि उनके द्वारा यू.पी.वी. सी. विन्डो एवं डोर्स के क्रय आदेश राज्य के बाहर स्थित ग्राहकों से प्राप्त किये जाकर क्रय आदेश के अनुसरण में माल का विनिर्माण कर विक्रय के अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहार के रूप में की जा रही थी परन्तु उस माल को अन्तर्राज्यीय बिक्री न बताकर अपना ब्रांच

लगातार.....2

ट्रांसफर बताया गया था। सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा उक्त माल स्वयं के राज्य के बाहर स्थित शाखाओं को स्टॉक ट्रांसफर प्रदर्शित कर राज्य का कर नहीं चुकाया जाकर करापवचन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में करारोपण किये जाने हेतु नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया तब अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार हैं किन्तु किसी गलत सलाह के कारण इस अन्तर्राज्यीय बिक्री को ब्रांच ट्रांसफर घोषित कर दिया गया है अतः उनके द्वारा संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर अन्तर्राज्यीय कर एवं ब्याज जमा करवा दिया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे करापवचन का मामला मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की दुगुनी राशि तक की शास्तियां आरोपित की गयी जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स के अनुसरण में कि अपीलार्थी का समस्त संव्यवहार नियमित बहियात में दर्ज किया हुआ था, अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया।

5. अपीलार्थी ने यह भी बताया कि उनके सर्वेक्षण के तुरन्त बाद एवं नोटिस जारी होने के पश्चात् गलती की जानकारी होने पर समस्त कर मय ब्याज राजकोष में जमा करवा दिया गया था इस तरह अभियोग साबित करने से पूर्व ही कर एवं ब्याज जमा करवा दिया गया था।

6. यह भी उल्लेख किया गया है कि हालांकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2011 तक की अवधि के रूपये 4.20 करोड़ की ब्रांच ट्रांसफर को ही प्रदर्शित किया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी गलती सुधारते हुए दिनांक 31.12.2011 तक की अवधि के समस्त ब्रांच ट्रांसफर जो उससे भी अधिक राशि, जिसमें रूपये 1.02 करोड़ की बिक्री को भी सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 5.22 करोड़ पर देय कर मय ब्याज स्वयं द्वारा जमा करा दिया गया था।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड श्रीगंगानगर में प्रतिपादित किया गया है कि यदि व्यवहारी के समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज उसकी लेखा-पुस्तकों एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित किया गया है तो वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का


लगातार.....3

आरोपित अनुचित है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी विभिन्न निर्णयों में यही मत प्रतिपादित किया जा चुका है कि विक्रय संब्यवहारों को बहियात एवं विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित किये जाने की स्थिति में धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं है।

8. उक्त तथ्यात्मक स्थिति एवं माननीय न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य